न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 47/14 **निर्णय दिनांकः 13.05.2019**

1. अमरसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति रायसिख निवासी चक 6 एलएलडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 25—07—1998
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—
1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 25—07—1998 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को तहसील पूगल के चक 1 एमजीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 117/53 के विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय ने यह कहकर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट नीलामी में उपस्थित नहीं आया। इस बाबत् अपीलांट को कोई नोटिस व सूचना प्रदान नहीं की गई। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने तहसील पूगल के चक 1 एमजीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 117/53 के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र यह कहकर खारिज कर दिया कि अपीलांट को नीलामी में उपस्थित होने के बाबत् नोटिस जारी किया गया परन्तु प्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट की आवंटन पत्रावली में सर्वप्रथम दिनांक 20—03—1998 पेशी में ली गई जिसमें कोई तारीख पेशी नहीं दी गई। इसके पश्चात् दिनांक 10—05—1998 को पत्रावली पेशी पर ली गई, इसके पश्चात् पत्रावली दिनांक 04—07—1998 व 18—07—1998 को पेशी में ली गई। तत्पश्चात् दिनांक 25—07—1998 को अपीलांट को बिना सूचना व नोटिस दिये अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र उपस्थित नहीं आने पर खारिज फरमा दिया गया। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25—07—1998 के विरूद्व अपील दिनांक 26—02—14 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर अपीलांट की प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–07–1998 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 26–02–2014 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। प्रकरण में अपीलांट ग्रामीण पृष्ठ भूमि व अन्य तहसील का निवासी होने के कारण आवंटन अधिकारी स्तर से किये गये निर्णय की जानकारी का समुचित तन्त्र विकसित नहीं होने के कारण आवेदक/अपीलांट को निर्णय की जानकारी देरी से होने का समुचित कारण है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में पात्रता से संबंधित समस्त दस्तावेज शामिल होने की स्थिति में आवंटन अधिकारी द्वारा नीलामी कार्यवाही में भाग लेने की मंजूरी दी गई, परन्तु अपीलांट को उक्त कार्यक्रम की सूचना देने से संबंधित कोई दस्तावेज पत्रावली में नहीं है। इसके उपरान्त आवेदक/अपीलांट को नीलामी कार्यवाही में भाग नहीं लेने का दोषी मानकर आवेदन खारिज कर दिया गया। आवंटन अधिकारी का उक्त निर्णय मनमाना एवं एकपक्षीय है।

9. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर दिनांक 25–07–1998 अपास्त किया जाता है। आवेदक नये सिरे से होने वाली भूमि नीलामी कार्यवाही में भाग लेने के लिये पात्र है।

10. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर